राजस्व अपील संख्या : 47/2025
उनवान : धूलाराम बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 47/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/196

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
धूलाराम पुत्र सुरताजी जाति भील निवासी मघा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर राज.		तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध मौजा लाटाडा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1241/2022 दिनांक 28.02.2022 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता सखाराम देवासी।
2. रेस्पोडेण्ट स्वयं उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांकः 03.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा लाटाडा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1241/2022 दिनांक 28.02.2022 को निरस्त करवाने बाबत पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक तहसीलदार बाली के कार्यालय में ग्राम लाटाडा तहसील बाली की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में से 0.21 हैक्टेयर भूमि यानि की 2100 वर्गमीटर भूमि का सर्मपणनामा स्वीकार करने, समर्पित भूमि स्वयं की खाता से हटाकर गे.मु रास्ते के रुप में दर्ज किये जाने, रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रास्ते के रुप में करने बाबत आवेदन पेश किया। आवेदन के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में समर्पित भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है। अपीलार्थी ने आवेदन के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी सलंग्न किया।

यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/114 दिनांक 14.01.2022 के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या दो से इस बाबत् जांच रिपोर्ट भी मांगी गयी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/373 दिनांक 14.02.2022 के जरिये अपीलार्थी के समर्पणनामा को स्वीकार कर समर्पणनामा एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अमल दरामद करने एवं नक्शा में तरमीम करने के आदेश जारी किये।

यह कि रेस्पोडेण्ट के अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा उपरोक्त रास्ता बाबत् आपत्ति करने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 13.11.2025 को ऑनलाईन जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 47/2025
उनवान : धूलाराम बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

संख्या 1241 स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 के जरिये समर्पित भूमि (तरमीमी खसरा नम्बर 1164/674 रकबा 0.2100 हैक्टेयर) किस्म गै.मु. रास्ता के बतौर अंकन नहीं कर किस्म बारानी अव्वल राज. सरकार के नाम अंकित कर दी है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह है कि ग्राम लाटाड़ा पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1241 स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।
2. यह कि अपीलार्थी ने रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली के कार्यालय में ग्राम लाटाडा तहसील बाली की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में से 0.21 हैक्टेयर भूमि यानि की 2100 वर्गमीटर भूमि का समर्पणनामा स्वीकार करने, समर्पित भूमि स्वयं की खाता से हटाकर गै.मु. रास्ते के रुप दर्ज किये जाने, रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रास्ते के रुप में करने बाबत आवेदन पेश किया। आवेदन के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में समर्पित भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है। अपीलार्थी ने आवेदन के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी सलंग्न किया था। इसके बावजुद रेस्पोडेण्ट ने मनमाफिक इन्द्राज किये है। जिससे भी अपीलार्थी की अपील काबिल स्वीकृत है।
3. यह है कि समर्पणनामा एवं पटवारी जांच रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही के जरिये समर्पित भूमि भू अधिकार अभिलेखो में गै.मु. रास्ता के बतौर अंकित की जानी थी परन्तु रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थी पक्ष के बाला बाला समर्पित भूमि किस्म बारानी अव्वल नाम अंकित किये जाने की सीमा तक कार्यवाही कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।
4. यह है कि रेस्पोडेण्ट ने आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/114 दिनांक 14.01.2022 के जरिये रेस्पोडेण्ट से जांच रिपोर्ट भी मांगी गयी थी जांच रिपोर्ट के अनुसार " मौके पर उक्त समर्पित रकबा रास्ते के लिये उपयोग हो रहा है" इसके बावजूद समर्पित भूमि गै.मु. रास्ता के बतौर अंकित नहीं कर भारी भूल की है जिससे भी अपील काबिल स्वीकृत है।
5. यह कि किसी भी नामान्तरकरण की कार्यवाही में मुख्य रुप से जांच ही महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके अभाव में किसी नामान्तरकरण को स्वीकृत किया जाना गैर कानुनी है।
6. यह है कि अपीलार्थी जैर अपील नामान्तरकरण से संबंधित कृषि भूमि गै.मु.रास्ता के उपयोग में आ रही है इस प्रकार अपीलार्थी को ग्राम लाटाडा के नामान्तरकरण संख्या 1241 स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान प्राकृतिक न्याय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 47/2025
उनवान : धूलाराम बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

के सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक था परन्तु जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान किसी भी ऑथोरिटी ने अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी नही कर सुनवायी का कोई अवसर प्रदत नहीं कर उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही की है जो संपूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं संबंधित विधि के सर्वथा विरुद्ध होने से अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम लाटाडा के नामान्तरकरण संख्या 1241 स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 के निरस्त कर समर्पित भूमि गै.मु. रास्ता के बतौर अंकित किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त अपील मीमों के सहवर्ती एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि:–

1. अपीलार्थी/प्रार्थी ने ग्राम लाटाड़ा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1241/2022 जो तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 28.02.2022 को स्वीकृत किया गया है के विरुद्ध अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है जो सही एवं ठोस आधारों पर प्रस्तुत की है। अपील मीमों में उल्लेखित आधारों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के सरसरी अवलोकन मात्र से उक्त अपील मेरिट पर सफल होने की पूर्ण संभावना है।
2. यह कि रेस्पोडेण्ट के अधीनस्थो के द्वारा उपरोक्त रास्ता बाबत् आपत्ति करने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 13.11.2025 को ऑनलाईन जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रति प्राप्त कर अवलोकन करने से जानकारी हुई।
3. यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी को समर्पित भूमि गै.मु.रास्ता के बजाय बारानी अव्वल के बतौर अंकित किये जाने की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 07.11.2025 से पहले कभी भी नहीं रही है। प्रार्थी/अपीलार्थी को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते ही उक्त अपील विधिक सलाह लेकर बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार देरी को शमन किया जाकर अपील को अंदर अवधि काल शुमार किया जाना न्यायोचित है।
4. यह कि विधिक प्रावधानों के तहत कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी कार्यवाही, आदेश, निर्णय के विरुद्ध अपील हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत कोई अवधि नही है। अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील उक्त आदेश की सम्पूर्ण जानकारी होते ही बिना देरी के अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत की जा रही है।
5. यह कि प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अन्दर अवधि न्यायालय में अपील तैयार कर पेश की जा रही है इसस यह अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जा रही है, फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 47/2025
उनवान : धूलाराम बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक तहसीलदार बाली द्वारा ग्राम लाटाडा के नामान्तरकरण संख्या 1241 के स्वीकृति बाबत आदेश 28.02.2022 के सम्बन्ध में अपील को अवधि शुमार हेतु धारा 05 भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 की प्रावधानों के तहत छूट प्रदान करते हुए उक्त अपील को अवधि में शुमार किये जाने की आज्ञा प्रदान करते हुए मेरिट पर निस्तारित करावें।

अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के उपशमन हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का अप्रार्थीपक्ष द्वारा कोई प्रतिकार या खण्डन नहीं करने तथा पत्रावली में भी ऐसा कोई प्रतिकुल दस्तावेज नहीं होने से अन्य किसी विकल्प के अभाव में उक्त म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित सशपथ कथनों को प्रमाणित माना जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण का मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए वक़्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम लाटाड़ा की अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 674 में से 0.21 हैक्टेयर 2100 वर्गमीटर भूमि राजहित में सार्वजनिक रास्ते के समर्पित करवायी थी। उक्त समर्पणनामा को अप्रार्थी तहसीलदार बाली ने स्वीकार करते हुए हल्का पटवारी को तदनुरुप राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के निर्देश प्रदान किये। यह, कि हल्का पटवारी द्वारा ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण उक्त समर्पित भूमि को गै.मु.रास्ते के रुप में दर्ज करने के स्थान पर त्रुटिपूर्ण ढंग से बारानी अव्वल भूमि के रुप में इन्द्राज किया जो मूल समर्पणनामें के विपरित इन्द्राज होने से काबिल खारिज है।

बहस के दौरान रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली व्यक्तिगत उपस्थित रहे एवं प्रश्नगत समर्पित भूमि को राजस्व अभिलेख में गै.मु.रास्ते के रुप में दर्ज होने के अपीलार्थी के तर्क से सहमति व्यक्त की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री धुलाराम द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार बाली के समक्ष दिनांक 07.01.2022 को एक समर्पणनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौज़ा लाटाड़ा के खसरा संख्या 674 में से 0.21 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की जाए तथा उक्त कृषि भूमि को मेरे खाते से हटाकर गै.मु. रास्ते के रुप में दर्ज की जावें।

उक्त समर्पणनामे पर जांच रिपोर्ट/टिप्पणी तलब करने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को तहसीलदार को प्रस्तुत रिपोर्ट के अन्तिम पद में यह अंकित किया गया कि मौके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पर उक्त समर्पित रकबा रास्ते के लिए उपयोग हो रहा है। जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा ज़रिए आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/373 दिनांक 14.02.2022 उक्त समर्पणनामा स्वीकार करते हुए समर्पित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अमलदरामद करने के हल्का पटवारी को निर्देश दिए।

हल्का पटवारी लाटाड़ा ने उक्त आदेशांक/373 दिनांक 14.02.2022 की अनुपालनार्थ नामान्तरकरण संख्या 1241 दर्ज करते हुए समर्पित भूमि खसरा संख्या 1164/674 रकबा 0.21 हैक्टेयर को राजकीय खाते में बारानी अव्वल के रुप में इन्द्राज कर दिया, जबकि समर्पणकर्ता प्रार्थी ने उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजनार्थ समर्पित करवायी थी। राजस्व विभाग द्वारा भी परिपत्र संख्या/राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि रास्ते के प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रुप में ही अंकन किया जाए।

सारांशतः, जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण में राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं समर्पणनामें में अंकित प्रयोजन के विपरित दर्ज इन्द्राजों की बिना समुचित जाँच किये तहसीलदार बाली द्वारा इसे स्वीकृत किया जाकर कानूनी भूल कारित की गई है।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाती है तथा पटवार मण्डल लाटाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1241 के सम्बन्ध में तहसीलदार बाली के स्वीकृति आदेश दिनांक 28.02.2022 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण पुनर्प्रेषित कर तहसीलदार बाली को निर्देश दिए जाते है कि प्रार्थी श्री धुलाराम द्वारा समर्पित ज़ैर अपील भूमि को माफिक समर्पणनामा राजस्व अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ते के रुप में दर्ज किया जाए।

निर्णय आज दिनांक **03.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner